

उत्तराखण्ड शासन

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

संख्या : 1061 /XVII-B-1/2022

देहरादून : दिनांक : 14 जून, 2022

5/11/22

अधिसूचना

500
श्री आशिष
18/07/22

शासन की अधिसूचना संख्या-01/XVII-B-1/2022-04(03)/2021, दिनांक 03.01.2022 तथा अधिसूचना संख्या-75/XVII-B-1/2022-04(03)/2021, दिनांक 07.01.2022 के द्वारा केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा-14 के प्रावधानानुसार विभिन्न श्रेणियों में उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्यों को नामित किया गया है।

2- तत्क्रम में एतद्वारा श्री राज्यपाल केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा-14 (1) (ख) (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सरवत करीम अंसारी पुत्र श्री अब्दुल हफीज, मा. विधायक-मंगलौर विधान सभा, निवासी-मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार एवं श्री शहजाद पुत्र श्री मौहम्मद शफी, मा. विधायक-लक्सर विधान सभा, निवासी-ग्राम लहबोली, पोस्ट-मंगलौर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार को विधिवत निर्वाचन के परिणामस्वरूप राज्य विधान मण्डल के मुस्लिम सदस्य श्रेणी में उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्य नामित किये जाने किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-15 के अधीन यह निर्देश देते हैं कि उक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष के लिए होगा।

Signed by L Fanai

Date: 13-07-2022 17:43:32

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 1061 (1)/XVII-B-1/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर 200 प्रतियों में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 1061 (2)/XVII-B-1/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मा. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

7. आयुक्त, कुमायूं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल।
8. सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद्, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
12. संबंधित महानुभाव (द्वारा-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड)।
13. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।